

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-06-235/18713...../राँची, दिनांक : 20/02/19 /

-: आदेश :-

विता विभागीय संकल्प संख्या-5207/वि० दिनांक 14.08.2002 एवं 1746/वि० दिनांक-12.08.2011 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 08.01.2019 को विभागीय स्त्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान् रु. 6500-10,500 एवं रु. 10,000-15,200 में स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/ आई.डी. कोड/ पदस्थापन स्थान/गृह जिला/ जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 6500-10500)	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 10000-15200)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्यामकान्त साह/ सं० नि० कनीय अभियंता/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार/मधुबनी/16.10.1951	02.02.79	09.08.99	02.02.03	
2	श्री विजय प्रसाद/ ज०-5604 A / ग्राम वि० वि० प्र०,लातेहार/ औंगाबाद/01.08.52/ सं० नि०-31.08.12	02.02.79	09.08.99	02.02.03	
3	श्री रामनाथ प्रसाद/ज०-6743 जलपथ प्रमंडल सं०-01, सिमडेगा/गोपालगंज/03.06.54 (रोवानिवृत्त)	21.02.79	09.08.99	21.02.03	
4	श्री महेश पाण्डेय/ ज०-3649/ सिवाई प्रमंडल सं०-02, जामताड़ा/वैशाली (बिहार)/ 06.07.1947 (रोवानिवृत्त)	13.11.73	09.08.99	09.08.99	
5	श्री प्रशांत नन्दी/ रूपांकण प्रमंडल सं०-02, राँची/राँची/14.01.1942 (रोवानिवृत्त)	21.01.66	09.08.99	09.08.99	
6	श्री रणजीत कुमार/ ज०-8077/ जलपथ प्रमंडल, बरही/ लखीसाराय/08.11.1960	11.03.87	09.08.99	-	

हस्ताक्षर

